

समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 15.05.2015

मा० सदस्य, राज्य योजना आयोग श्री निहाल अजमत चौधरी की अध्यक्षता में दिनांक 15.05.2015 को योजना भवन के कक्ष संख्या: 111 में अध्ययन समूह (ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक उत्थान) के अन्तर्गत अध्ययन प्रतिवेदन तैयार करने के सम्बन्ध में आयोजित द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव/निदेशक, पशुपालन विभाग, उ०प्र० डा० रुद्र प्रताप द्वारा श्री निहाल अजमत चौधरी, मा० सदस्य राज्य योजना आयोग/ विशेष विशेषज्ञ, श्री एम०एम० तिवारी जी एवं प्रमुख सचिव, डेयरी, उ०प्र० शासन का हार्दिक स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं दिनांक 29.04.2015 को आहूत प्रथम बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करते हुए, राज्य योजना आयोग द्वारा अध्ययन समूह हेतु चयनित निम्न बिन्दुओं पर पुनः वृहद चर्चा की गयी :—

1. पशुचिकित्सा के क्षेत्र में अभिनव प्रयोगों के लिये सम्भावनाओं का पता लगाना।
 2. पशुपालकों को विशेषज्ञ सलाह प्राप्त कराना।
 3. पशुओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना।
- निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में 2200 पशुचिकित्सालय, 2575 पशु सेवा केन्द्र, 268 द श्रेणी पशु औषधालय, 25 सचल पशु चिकित्सालय एवं 5 पालीक्लीनिक स्थापित हैं, जिनके माध्यम से पशुचिकित्साविदों द्वारा पशुपालकों को सीधे पशुचिकित्सा सेवायें दी जा रही हैं, परन्तु पशुओं की संख्या के अनुपात में सुविधायें अप्रर्याप्त हैं। सुझाव दिये गये कि 15000 पशुओं पर पशुचिकित्सालय एवं पशुचिकित्साधिकारी/कर्मचारी के पदों का सृजन कराया जाय, जिससे पशुपालकों को अतिरिक्त सुविधायें उपलब्ध करायी जा सके।
 - निदेशक, पशुपालन द्वारा अवगत कराया गया कि तीन मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों एवं पं० दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, मथुरा द्वारा सुझाव दिये गये कि उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग के कार्यकलापों (कृत्रिम गर्भाधान एवं चिकित्सा) सफल एवं आच्छादन को बढ़ाये जाने हेतु मोबाइल वेटनरी क्लीनिक की स्थापना विकास खण्ड स्तर पर की जाय।

- श्री अरविन्द कुमार ढाका, अपर निदेशक नियोजन ने बैठक में यह सुझाव दिया कि पूर्व के वर्षों में द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान एवं टीकाकरण कार्य करने हेतु पैरावेटस का चयन किया गया था तथा काफी संख्या में स्वरोजगार के अवसर सृजित हुये थे। विगत तीन से चार वर्षों में इस योजना में कोई घ्यान नहीं दिया गया है। इस बिन्दु पर विशेषज्ञ श्री एम०एम०तिवारी जी सहमति व्यक्त की। अपर निदेशक गोधन द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग 8000 पैरावेटस का चयन किया गया था, वर्तमान में एल०डी०बी० द्वारा गत वर्ष लगभग 2500 पैरावेटस को रिफेशर टेनिंग कोर्स कराया गया। प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास ने सुझाव दिया कि रिफेशर टेनिंग कोर्स समयबद्ध तरीके से संचालित किया जाये।
- डा० जयकेश पाण्डेय द्वारा अवगत कराया गया कि पैरावेटस की व्यवस्था उ०प्र० पशुधन विकास परिषद द्वारा की जाती है। उनके द्वारा ही पैरावेटस को प्रशिक्षित कर उसे वीर्य स्ट्राज एवं तरल नत्रजन दिया जाता है। बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि कृत्रिम गर्भाधान के तीन श्रोतों (1) विभाग द्वारा (2) एन०जी०ओ० द्वारा एवं (3) पैरावेट्सों द्वारा कराया जाता है।
- अपर निदेशक (नियोजन) श्री अरविन्द कुमार ढाका जी ने कहा कि कृत्रिम गर्भाधान का आच्छादन बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है क्योंकि विभाग का लक्ष्य वर्ष 2014–15 में 75 लाख है जब कि 240 लाख प्रजनन योग्य पशुओं की पर्याप्त संख्या है।
- अपर निदेशक(गोधन) ने अवगत कराया कि वर्ष 2014–15 में तीनों श्रोतों द्वारा कुल 72 लाख ए०आई० हुई है, जिसमें से 38 लाख विभाग द्वारा, 12 लाख एन०जी०ओ० द्वारा एवं 22 लाख पैरावेटस द्वारा की गयी है। निदेशक ने अवगत कराया कि पैरावेटस की व्यवस्था उ०प्र० पशुधन विकास परिषद द्वारा करायी जा रही है। विभाग द्वारा व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पैरावेटस को स्वरोजगार परक बनाया गया है।
- कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के आच्छादन पर चर्चा करते हुए कहा गया कि पैरावेटस को निर्देश दिये जाये कि वह ए०आई० की हर माह रिपोर्टिंग करें तथा उन्हें ट्रेकिंग की व्यवस्था करायी जाय। पैरावेटस को 7 दिन का रिफेशर कोर्स कराया जाय। लक्ष्य के अनुरूप वीर्य स्ट्राज की आपूर्ति न होने के कारण अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्रों को सुदृढ़ बनाया जाय एवं नये केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया जाये, ताकि बाहर से वीर्य स्ट्राज की आपूर्ति न लेना पड़े।
- बैठक में सुझाव दिया गया कि राजस्थान प्रदेश, की भाँति हर मण्डल पर पालीकलीनिक की स्थापना किया जाना चाहिये एवं पशुपालन के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा कितनी धनराशि निर्गत की जाती है, प्रदेशवार विवरण प्रस्तुत किये जाये जिससे यह आंकलन किया जा सके कि अनुपातिक रूप से प्रदेश के पशुओं की जनसंख्या के आधार पर कितनी सहायता प्राप्त होती है?

- निदेशक ने अवगत कराया कि पशुधन समस्या को त्वरित निदान करने हेतु निदेशालय पर पशुधन समस्या निवारण केन्द्र की स्थापना की गयी है, जिसका टोल फ़ी नं 0-18001805141 है। पशुधन समस्या निवारण केन्द्र में मार्च 2015 तक 3427 समस्याएं दर्ज करायी गयीं, जिसमें से 3074 समस्याओं का निराकरण किया गया, जिसका प्रतिशत 89.70 रहा है।
- पशुपालकों को गाय/भैंस पालन हेतु प्रेरित किया जाय। एवं ब्याज मुक्त ऋण दिया जाना चाहिये। अरविन्द ढाका जी ने सुझाव दिया कि पशुपालकों को प्रोत्साहित करने हेतु इन्सेन्टिव दिया जाना उचित होगा। आई0टी0 का समावेश कृषि विश्वविद्यालय से होना चाहिये। प्रमुख सचिव दुग्ध द्वारा उपसचिव, पशुधन को कहा गया कि पशुपालन विभाग से उपरोक्त के सुझाव मंगाकर उनको सम्मिलित किया जाय।
- बैठक में यह भी सुझाव दिये गये कि पशुपालकों को पशुओं को खिलाने हेतु मिनरल सप्लीमैन्ट की जानकारी दी जाय।
- शीप व गोट में डिवारमिंग का प्रोग्राम होना चाहिये।
- जिन पशुपालकों की गाय 12 ली0 से अधिक दुग्ध दे रही हैं उनको चिन्हित कर प्रोत्साहित किया जाय। प्रत्येक ब्लाक पर ए0आई0 एवं चिकित्सा हेतु मोबाइल वैन होना चाहिये।
- इस सम्बन्ध में विषय विशेषज्ञ श्री एम0एम0 तिवारी जी ने सुझाव दिया कि डिवारमिंग हेतु पशुपालकों का सहयोग लिया जाय, उनको प्रशिक्षित किया जाय। इसका प्रोजेक्ट बनाकर प्रस्तुत करें। पशुपालन विभाग द्वारा जो बिन्दु दिये हैं इस पर विचार किया जाय। इससे पूर्व जो कार्य किये गये हैं, उनके सम्बन्ध में रिजल्ट एवं आ रही कठिनाईयों के सम्बन्ध में सुझाव मांगें गये।
- श्री अरविन्द ढाका ने सुझाव दिया कि जो भी प्रोजेक्ट बने वह बजट के अनुरूप हो ताकि बजट की व्यवस्था हो और वित्तीय बाधायें न आये। प्रोजेक्ट शार्ट , मिडियम एवं लॉगटर्म बनाकर दिया जाय। डिप्लोमा वालों से भी कार्य करायें , डिप्लोमा का कार्य मथुरा विश्वविद्यालय को सौंप दिया जाय।
- ब्रीड इम्प्रूमैन्ट हेतु 25 प्रतिशत शेयर उ0प्र0 सरकार से मिलना है। नेशनल लाइव स्टाक मिशन के अन्तर्गत योजना बनायी जा रही है।
- प्रमुख सचिव, डेरी द्वारा निर्देश दिये गये पशुओं में बीमा के सम्बन्ध में अगली बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

- प्रमुख सचिव, दुर्घट विकास ने बैठक में अवगत कराया कि किसान को दुर्घट का मूल्य लगातार दिया जा रहा है। परन्तु अन्य राज्यों की तरह किसान को जो ₹0-4/- प्रति लीटर दुर्घट पर जो सब्सिडी दी जा रही है वह उ0प्र0 में नहीं दी जा रही है। अतः अन्य प्रदेशों की भाँति उ0प्र0 में होनी चाहिये। श्री अरविन्द ढाका ने अवगत कराया कि प्रदेश में दुर्घट के क्षेत्र में प्रबन्धन की कमी है। अतः पी0सी0डी0एफ0 को 5 वर्ष का कोन्ट्रैक्ट होना चाहिये, ताकि इसमें कोई राजनैतिक हस्तक्षेप न हो। दुर्घट समितियों को बढ़ावा देकर उन्हें स्वतंत्र किया जाय, ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके। पशुपालक एवं डेयरी को सम्मिलित कर प्रोजेक्ट बनाया जाय। प्रोजेक्ट को कामधेनु डेरी के साथ जोड़ दिया जाये ताकि उत्पादित दुर्घट का उचित मूल्य मिल सके।
- श्री एम0एम0 तिवारी ने सुझाव दिये कि 10-15 लाख की धनराशि की योजना बनाकर 25-25 गायों की कामधेनु डेरी योजना होनी चाहिये। यह 25 गायों की डेरी अलग होनी चाहिये।

अन्त में मा0 सदस्य द्वारा बैठक में आये हुए सभी अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए बैठक का समापन करते हुए अगली बैठक की तिथि दिनांक 26-5-2015 निश्चित की गयी।